उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-05/2026/एस-2-।/1380062/दस-2026-366/2021
लखनऊ:: दिनांक :: 30 जून, 2026

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के समूह-ख में साधारण वेतनमान रू0 8000-13,500, पुनरीक्षित वेतन बैण्ड-3 रू0 15,600-39,100 ग्रेड पे 5400 (पे मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के रिक्त पदों पर सहायक लेखाधिकारी संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा चयन कराये जाने के संबंध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में गठित चयन समिति की बैठक दिनाँक 19.05.2026 को सम्पन्न हुई। चयन समिति की संस्तुति लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-101(2)/73/पी0/एस-1(05)/2025-26, दिनाँक 02.06.2026 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी।

2- उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा सहायक लेखाधिकारी संवर्ग वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800, ग्रेड पे 4800 (पे मैट्रिक्स लेवल-8) में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित 04 अधिकारियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में समूह-ख के पद कोषाधिकारी/लेखाधिकारी साधारण वेतनमान रू0 8000-13,500, पुनरीक्षित वेतन बैण्ड-3 रू0 15,600-39,100 ग्रेड पे 5400 (पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर वर्तमान पद पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3
1	श्री संजय सरकार, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संभागीय लेखाधिकारी (खाद्य), देवीपाटन संभाग, गोण्डा।	चयन वर्ष 2025-26 की रिक्ति के सापेक्ष
2	श्री तेजवीर, सहायक लेखाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ।	-- तदैव --
3	श्री पवन कुमार, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी (,खाद्य), आगरा संभाग, आगरा।	-- तदैव --
4	श्री राजकुमार, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय उप कृषि निदेशक, रायबरेली।	-- तदैव --

3- उक्त पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे। उक्त आदेश दिनांक 01.07.2026 से प्रभावी होगा।

4- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली-1992 (यथासंशोधित) एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में प्राविधानित सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

5- उक्त पदोन्नति से संबंधित यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह पदोन्नति उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6- उक्त पदोन्नत अधिकारियों के सेवा संबंधी प्रकरण उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली,1992 यथासंशोधित एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों से आच्छादित होंगे।

7- उक्त नव पदोन्नत अधिकारियों की पदोन्नत ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स के अनुरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
5- निदेशक, आई0एफ0एम0टी0आर0/आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- उप सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज।
7- अपर निदेशक, शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- संबंधित अधिकारीगण। (द्वारा WhatsApp/E-mail)
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।